

तारीख

15.10.2019

हुकूम की कार्यवाही मय इनिशियलस जवा

नम्बर व तारीख
 अहकाम जो हुकूम
 हुकूम की तारीख
 में जारी हुए

यह प्रार्थना पत्र राजस्थान में राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थी
 मान्दियासिंह पुत्र छोटैराम जाति जाट निवासी ग्राम खारियाकनीराम तहसील सजानगढ़ ने
 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुतिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्ट्रर
 की जाते।
 प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम खारियाकनीराम की जमाबन्दी
 संवत् 2073-76 खाला खंख्या नया - 26, खाला खंख्या पुराना - 25 में प्रार्थी का नाम
 राजस्व रिकार्ड में भागुराम पुत्र छोटैराम हिस्सा 1/4 जाति जाट निवासी ग्राम
 खारियाकनीराम दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थी का नाम अन्य दरखास्त आधारे कर्तव्य व
 परिचय पत्र के अनुसार प्रार्थी का नाम मान्दियासिंह पुत्र छोटैराम जाति जाट निवासी ग्राम
 खारियाकनीराम है। प्रार्थी का नाम मान्दियासिंह पुत्र छोटैराम किया जाने के आदेश
 फरमाते।
 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उप तहसीलदार सालासर से रिपोर्ट ली गई
 उप तहसीलदार सालासर ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जमाबन्दी संवत्
 2073-76 खाला खंख्या नया - 26, खाला खंख्या पुराना - 25 में प्रार्थी का नाम राजस्व
 रिकार्ड में भागुराम पुत्र छोटैराम हिस्सा 1/4 जाति जाट निवासी ग्राम खारियाकनीराम दर्ज
 है। जो गलत है। संलग्न दरखास्त आधारे कर्तव्य पत्र के अनुसार प्रार्थी का नाम
 मान्दियासिंह पुत्र छोटैराम जाति जाट निवासी ग्राम खारियाकनीराम है। जो शुद्ध किया
 जाना उचित है।
 पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व दरखास्त
 एवं उप तहसीलदार सालासर की अनुबंध के आधारे पर राजस्थान में राजस्व अधिनियम
 1956 की धारा 136 के अनुसार में ग्राम खारियाकनीराम तहसील सजानगढ़ जिला बूके
 की जमाबन्दी संवत् 2073-76 में खाला खंख्या नया - 26, खाला खंख्या पुराना - 25 में
 दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरमाद के
 आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाला संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	खारियाकनीराम	26/25	भागुराम पुत्र छोटैराम हिस्सा 1/4 जाति जाट निवासी ग्राम खारियाकनीराम	भागुराम हिस्सा छोटैराम हिस्सा 1/4 जाति जाट निवासी ग्राम खारियाकनीराम

रहित की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सजानगढ़ व
 खासा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एंड जयपुर खासा सालासर को भिजवाई जाये।
 पत्रावली निर्णय में शामिल होकर इस जाका दाखिल रूपतर हो।
 निर्णय आज दिनांक 15.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खूले न्यायालय में
 सूनाया गया।

सजानगढ़
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सजानगढ़

2019/178